

21-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 18.10.2011

-: आदेश :-

श्री बलराम, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 67/2005 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2040 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में इस विभाग के आदेश दिनांक 23.9.2011 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/103 गॉधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 5/ए/23 गॉधीनगर, जयपुर का आवंटन पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्वारा परिवर्तित/आवंटित किया जाता है। श्री पारीक के वेतन से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 75/- प्रतिमाह कटौती कर राजकोष में जमा कराने होंगें।

आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिन्ना कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव